

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....बुडाना.....

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....बुडाना..... व भू.अ.नि.....बगड..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार झुन्झुनू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ढाणी पकोड़ी तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 (वर्ष 2018 से स्थायी) में खाता संख्या 86 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	ढाणी पकोड़ी	86	जोराराम	जोराराम

(सुप्रिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (ए.ज.)
पदेन सहा. कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक :- 7

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 28/09/2023

1. तहसीलदार, झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(सुप्रिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (ए.ज.)
पदेन सहा. कलेक्टर, झुन्झुनू